


महोदय

संलग्न एक कार्यालय स्थापक अभियन्ता (इंजीनियर) अर्थात्  
एच.एल.ए. वि. ए. (इंजीनियर) के पतांक सं. 420/1, एच.  
के.एम. ए. 378/1, एच.के.एम. वि.ए. मजलीफ मुहम्मदिया के लिये  
सं. 105/2017 के अन्तर्गत एनएच. 20 के विद्यमान सभा के  
इंजीनियर इ.ए.एम. मुख्य मार्ग - चांदमारी - बिसरवाला - लखीवाला  
एल.ए.के. मार्ग का एडबल लेन में निर्मित एवं फुटपाथ  
का निर्माण कार्य हेतु कुशासन योजित भूमि के सीमांकन के  
सम्बन्ध में आग्रह निम्नवत् है।

सम्बन्धित पतांक के सम्बन्ध में दिनांक 10/12/2025 को  
राजस्थान विद्यापीठ पीठ इन्फ्रस्ट्रक्चर वन विभाग के साथ ग्राह-  
बिसरवाला के एच.ए. 926 व 928 क्षेत्रों 6-11/अल.म.न.भूमि  
7.20 हेक्टर भूमि का सीमांकन कर दिया गया है। नजदीक प्रस्तावित  
व उपरिस्थित एक संलग्न करते हुए आग्रह है कि उपरोक्त

  
16-12-25 16/12/25  
रा.प.ई

1/12/25  
सपर सहायक अभियन्ता  
आयुक्त एच.ए.ए. वि. ए. के  
एच.के.एम.

  
इलेन्द्र बंसवाल  
वन विभाग  
मतेधुवा, शेरगा, जगतपुरा

Chitna  
राजस्थान असेस  
अर्थात् एच.ए.ए. वि. ए.  
अभियन्ता

